फाइल नं0-71-3002(001)/7/2021-03

44/2024/I/519575/2024

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
जौनपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 14 मार्च, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मेडि0का0जौ0/2023-24/1073, दिनॉक 13.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मूल लागत रू0 554.1671 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-6/2015/2449/71-1-2014-जी-585/2012, दिनॉक 12.01.2015 निर्गत की गई है। उक्त अनुमोदित मूल लागत के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक कुल रू0 379.8385 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 22.12.2023 को सम्पन्न बैठक में प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 546.7367 करोड़ अनुमोदित की गयी।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 546.7367 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य एन0एम0सी0 मानक के अनुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(3) प्रायोजनान्तर्गत वर्क टू बी डन में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। प्रशासकीय विभाग स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(4) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को प्रभाग द्वारा प्रायोजना की आकलित लागत में यथावत् सम्मिलित करते हुए लागत को आकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तद्नुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 / 2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(10) संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(11) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(13) संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-459-दस/2023-24, दिनांक 13 मार्च, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जौनपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।